अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–1, सुलतानपुर।

सत्र परीक्षण संख्या–348/2015

राज्य उ0प्र0–––बनाम––––––गेंदराज दूबे

01.06.2017

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र कागज संख्या 15ख तथा अभियोजनपक्ष की ओर से इसके विरूद्ध दाखिल आपत्ति कागज संख्या 16ख का निस्तारण।

अभियुक्त गेंदराज दूवे की ओर से प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 17.06.2016 को प्रार्थनापत्र 15ख अन्तर्गत धारा 227 दं0प्र0सं0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि मुकदमें के वादी गोविन्द धर दूवे द्वारा दिनांक 08.09.2012 को 09.00 बजे सुबह की घटना दर्शित करते हुये अभियोग पंजीकृत कराया गया जिसमें राजा दूवे पुत्र गोविन्द धर दूवे को चोटहिल होना कहा गया। वादी मुकदमा को अभियोजन कथानक के अनुसार कोई चोट कारित होना दर्शित नहीं है। उपरोक्त तिथि, समय व घटना स्थल को दर्शित करते हुये दिनांक 08.09.2012 को थाना स्थानीय पर गोविन्द धर दूवे की लिखित तहरीर पर एन0सी0आर0 180/2012 अन्तर्गत धारा 323, 504 भा0दं0सं0 का अभियोग प्रार्थी/अभियुक्त एवं दो अन्य के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया जिसमें राजा दूवे को लात, मूका से मारकर प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य सह अभियुक्तगण द्वारा चोटें कारित करना दर्शित किया गया है। दिनांक 08.09.2012 को समय 2.20 बजे राजा दूवे का चिकित्सीय परीक्षण सी0एच0सी0 लम्भुआ में जरिये पुलिस कराया गया। उपरोक्त एन0सी0आर0 की तहरीर में गेंद राज दूवे के द्वारा बन्दूक से फायर करने का कोई कथन नहीं किया गया तथा चोटहिल राजा दूवे को आयी हुयी सभी चोटे ंसाधारण प्रकृति व किसी कुन्दालय से आना दर्शित किया गया है। आहत आख्या के अवलोकन से अभियोजन कथानक पूर्णतया अविश्वसनीय हो जाता है। दिनांक 08.09.2012 को एन0सी0आर0 180/2012 के आधार पर अभियुक्त का चालान थाना स्थानीय की पुलिस द्वारा दिनांक 10.09.2012 को अन्तर्गत धारा 151, 107, 116 दं0दं0सं0 के अधीन किया गया और प्रार्थी/अभियुक्त को उपजिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त तिथि को जमानत पर रिहा किया गया। स्थानीय थाने की पुलिस द्वारा दिनांक 12.09.2012 को दिनांक 08.09.2012 को ही घटना को दर्शित करते हुये दूसरा अभियोग पंजीकृत किया गया जो विधितः संधार्य नहीं है। वादी मुकदमा गोविन्द धर दूवे को आग्नेयास्त्र की कोई चोट नहीं आयी है तथा न ही घटना स्थल से दौरान विवेचना किसी खोखा कारतूस की बरामदगी हुयी है। प्रार्थी/अभियुक्त की बन्दूक पुलिस द्वारा कब्जे में ली गयी, परन्तु विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा उसका परीक्षण नहीं कराया गया। उपरोक्त परिस्थितियों मे ंप्रार्थी/अभियुक्त को धारा 307 भा0ंद0सं0 के आरोप से उन्मोचित किया जाय। अभियुक्त की ओर से एन0सी0आर0 180/2012 दिनांकित 08.09.2012 की छाया प्रति 15ख/3 एवं चालानी रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 151, 107, 116 दं0प्र0सं0 की छाया प्रति 15ख/4 दाखिल की गयीं है।

अभियोजनपक्ष की ओर से प्रार्थनापत्र 15ख के विरूद्ध आपत्ति 16ख दिनांकित 17.06.2016 दाखिल करते हुये यह कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र आधारहीन तथ्यो ंपर आधारित है और प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सह

अभियुक्तगण के साथ आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 504, 323, 307 भा0द0सं0 के अधीन प्रेषित किया गया है। आहत आख्या तथा गवाहान के बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 से घटना पूर्णतया सिद्ध होती है। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र बलहीन है। अतः निरस्त किया जाय।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 15ख तथा इसके विरूद्ध अभियोजनपक्ष द्वारा दाखिल आपत्ति 16ख पर उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्कों को विगत तिथि को सुन लिया हैं।

प्रार्थनापत्र 15ख के सन्दर्भ मे अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि घटना दिनांकित 08.09.2012 समय 09.00 बजे में वादी मुकदमा को किसी आग्नेयास्त्र की कोई चोट नहीं आयी है और न ही विवेचक द्वारा कोई खोखा कारतूस की बरामदगी की गयी है। मामले के चोटहिल राजा दूवे को आयी चोटें साधारण प्रकृति की हैं और उन्हे लात, मूका से मारकर चोटे पहुंचाये जाने का अभिकथन किया गया है। अभियुक्त गेंदराज दूवे द्वारा बन्दूक से फायर करने का अभिकथन उपरोक्त एन0सी0आर0 मे नहीं किया गया है, जबकि घटना दिनांक 08.09.2012 के बावत दिनांक 12.09.2012 को पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट मे प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपनी लाइसेंसी बन्दूक से फायर करने का अभिकथन किया गया है, परन्तु वादी मुकदमा को कोई आग्नेयास्त्र की चोट नहीं आयी है। अभियुक्त की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि यद्यपि उसकी लाइसेंस बन्दूक कब्जे में ली गयी थी, परन्तु उसे विधि विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षण हेतु नही भेजा गया। अतः प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 307 भा0द0सं0 का प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। अत : अभियुक्त को उक्त धारा के आरोप से उन्मोचित किया जाय।

अभियोजनपक्ष की ओर से उपरोक्त तर्कों के विरोध में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण की घटना दिनांक 08.09.2012 के प्रातः 8.00 बजे की है, जबकि एन0सी0आर0 संख्या 180/2012 की घटना प्रातः 9.00 बजे की है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा अपनी लाइसेंसी बन्दूक से वादी मुकदमा उसके लड़के राजा दूवे तथा चचेरे भाई रंगेश दूवे को जान से मारने की नीयत से दो फायर करना अभिकथित किया गया है, परन्तु वादी मुकदमा तथा उसके साथ के लोगों ने भागकर अपनी जान बचायी। वादी मुकदमा तथा उसके साथ के लोगों को आग्नेयास्त्र की चोट आना सुसंगत नहीं है, बल्कि सुसंगत यह है कि अभियुक्त ने जान से मारने की नीयत से उनके ऊपर फायर किया था और वे बच गये। आरोप के स्तर पर न्यायालय को मात्र यह देखना है कि क्या उपलब्ध साक्ष्य से प्रथम दृष्टया अभियुक्त के विरूद्ध आरोप लगाये जाने हेतु साक्ष्य व सामग्री है। इस स्तर पर न्यायालय उपलब्ध साक्ष्य की संवीक्षा गहनता व बारीकी से नहीं करेगी और न ही मुकदमें के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त करेगी। अभियोजनपक्ष की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादी मुकदमा तथा चोटहिल एवं गवाहान के बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 से अभियुक्त के विरूद्ध धारा 504, 323, 307 भा0दं0सं0 के अधीन आरोप लगाये जाने हेतु प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध है। यहॉ तक कि न्यायालय गम्भीर सन्देह के आधार पर भी अभियुक्त के विरूद्ध आरोप लगा सकती है। फलस्वरूप अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाय।

उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त तर्कों के आलोक में सम्बन्धित पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि घटना दिनांकित 08.09.2012 सुबह 8.00 बजे के बावत थाना लम्भुआ जिला सुलतानपुर पर दिनांक 12.09.2012 को समय 2.30बजे अभियुक्तगण गेंदराज दूवे व अरविन्द कुमार दूवे के विरूद्ध मुकदमा अपराध 355/2012 अन्तर्गत धारा 504, 323, 307 भा0दं0सं0 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी और विवेचनोपरान्त विवेचक द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं के अधीन आरोपपत्र प्रेषित किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वादी मुकदमा गोविन्द धर द्विवेदी की कोई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट शामिल पत्रावली नहीं है। मामले के चोटहिल राजा दूवे की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है जिसमें उसको दो चोटें आने का उल्लेख है जिनकी प्रकृति साधारण है तथा वे किसी सख्त एवं कुन्दालय से पहुंचायी गयीं है। पत्रावली पर ही अभियुक्त की लाइसेंस बन्दूक को कब्जा पुलिस में लेने से सम्बन्धित फर्द दिनाांकित 12.09.2012 उपलब्ध है। एन0सी0आर0 संख्या 180/2012 में घटना की तिथि दिनांक 08.09.2012 समय 9.00 बजे सुबह उल्लिखित है। इस प्रकार दोनों घटनाओं के घटित होने के समय में भिन्नता है। वादी मुकदमा के अनुसार अभियुक्त ने अपनी लाइसेंसी बन्दूक से जान से मारने की नीयत से उनके ऊपर दो फायर किये और वे लोग बच गये। पत्रावली पर घटना स्थल से किसी खोखा कारतूस के बरामद किये जाने से सम्बन्धित कोई फर्द उपलब्ध नहीं है । केस डायरी मे ंवादी मुकदमा गोविन्द धर दूवे व चोटहिल राजा दूवे तथा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी रंगेश दूबे ने अपने बयानों में अभियुक्त द्वारा जान से मारने की नीयत से लाइसेंसी बन्दूक से फायर करने का अभिकथन किया है। धारा 227 दं0प्र0सं0 मे ंप्रयुक्त शब्द **''आधार''** से तात्पर्य दोषसिद्धि के लिये आधार से नहीं है, इसका तात्पर्य अभियुक्त के विचारण के लिये पर्याप्त आधार से है। न्यायालय को केवल यह विचार करना है कि यदि अभिलेखों की सम्पूर्ण सामग्री को सामान्यतः स्वीकार कर लिया जाये तो क्या अभियुक्त को अपराध से युक्ति—युक्त रूप से जोड़ा जा सकता है। जहॉ पर न्यायालय के सामने पेश की गयी सामग्री अभियुक्त के विरूद्ध ऐसे घोर सन्देह प्रकट करती है जिसे उचित रूप से स्पष्ट न किया गया हो, वहॉ न्यायालय के लिये आरोप लगाने और विचारण के लिये अग्रसर होना पूर्णतया न्यायोचित है। इसी आशय का सिद्धान्त माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा स्टेट ऑफ बिहार बनाम रमेश सिंह 1977 एस0सी0सी0(क्रिमिनल) 533, उड़ीसा राज्य बनाम देवेन्द्रनाथ पाणि 2005(1) एस0सी0सी0 566 एवं पलविन्दर सिंह बनाम बलविन्दर सिंह (2009)1 सी0सी0एस0सी0 539 में प्रतिपादित किया गया है। उपरोक्त निर्णयज विधियों में माननीय उच्चतम् न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से अवधारित किया है कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोप दृढ़ सन्देह के आधार पर भी विरचित किये जा सकते है। इस स्तर पर साक्ष्य का मूल्यांकन बारीकी से किये जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा द्वारा तहरीर में किये गये कथन व वादी मुकदमा तथा चोटहिल राजा दूवे व प्रत्यक्षदर्शी साक्षी रंगेश दूवे के बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 के अवलोकन के पश्चात प्रथम दृष्टया अभियुक्त के विरूद्ध धारा 323, 504, 307 भा0दं0सं0 में आरोप लगाये जाने हेतु प्रथम दृष्टया साक्ष्य व सामग्री उपलब्ध है। फलस्वरूप उसकी ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांकित 17.06.2016 बावत किये जाने उन्मोचित स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त गेंदराज दूवे की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 15ख निरस्त किया जाता है। तद्नुसार अभियोजनपक्ष की ओर से प्रस्तुत आपत्ति 16ख निस्तारित की जाती है। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 323, 504, 307 भा0ंद0सं0 के अधीन आरोप लगाये जाने हेतु प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध है । अतः मुकदमा आरोप लगाये जाने हेतु दिनांक 17.06.2017 को पेश हो। अभियुक्त नियत तिथि को न्यायालय उपस्थित हो।

एस0डी0

अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0—1,
सुलतानपुर।
01.06.2017